

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 603

दिनांक 23.11.2021

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार दांतारामगढ के आधार पर ग्राम कर 9-ह
कर की रकमी खाना संख्या 116 के खातेहा (माला) पुत्र
नन्दा के स्थान पर मालीराम पुत्र नन्दाराम कर कर के
आदेश दिये जाते हैं। किसी भी न्यायालय का स्थगन
न होना दर्ज करें।

तहसीलदार दांतारामगढ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में
अमलदारामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन गार्ड के संग अधिवान -2021

उपखण्ड अधिकारी

दांतारामगढ

राजेश कुमार मीणा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर